भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 106
03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई पहल
***106. श्री दर्शन सिंह चौधरीः**
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी पहल का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मध्य प्रदेश में दुधी और चिंकी बोरास बैराज सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति तथा इनके पूर्ण होने का ब्यौरा क्या है;
(ग) जिले में सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त परियोजनाओं से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं तथा फसल उपज/सिंचाई दक्षता में कितनी वृद्धि हुई है;
(ङ) उक्त जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और सूक्ष्म सिंचाई पहल के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और
(च) होशंगाबाद जिले में सूक्ष्म सिंचाई और सिंचाई दक्षता का विस्तार करने की भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई पहल के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य से, देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खेतों तक जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को अपनाना आदि है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी को वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से पीडीएमसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर फोकस करती है।

होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के तीन जिलों नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन को कवर करता है। राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2024-25 (अब तक) तक इन जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र कवरेज और पीडीएमसी के माध्यम से लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ज़िला	सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टे.)	लाभार्थियों की सं.
1	नर्मदापुरम	8917	6047
2	नरसिंहपुर	6748	4503
3	रायसेन	12897	9162

सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से जल उपयोग दक्षता में सुधार, फसल की पैदावार और किसानों की आय में वृद्धि होती है। नीति आयोग ने वर्ष 2021 में पीडीएमसी योजना के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पता चला कि यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि खेत में जल उपयोग दक्षता में काफी सुधार करने, फसल उत्पादकता में वृद्धि करने, रोजगार के अवसर सृजित करने आदि को प्राप्त करने में प्रासंगिक है। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए जल उपयोग दक्षता में लगभग 30% से 70% तक सुधार हुआ है और उत्पादकता 9% से 100% तक बढ़ी है।

मध्य प्रदेश में दुधी और चिंकी बोरास बैराज सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से कार्यान्वित और वित्तपोषित किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी है। परियोजनाओं में प्रेशराइज्ड पाइप्ड इरिगेशन कमांड (पीपीआईसी) सिस्टम के माध्यम से खेत में माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने दिसंबर, 2021 को इन परियोजनाओं की शुरुआत की और परियोजना की अवधि छह साल है। इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गांवों की संख्या, परियोजना लागत, लक्षित कमांड क्षेत्र और प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	गांवों की संख्या	अनुमानित कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर)	कुल परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (रुपये करोड़ में)
1	दूधी परियोजना	नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा	184	55410	1774.0	44.0
2	चिंकी बोरास बैराज	नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन	446	131925	5162.49	896.0

(ड.) एवं (च): किसान जल उपयोग दक्षता और फसल उपज में वृद्धि जैसे लाभों के कारण सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के इच्छुक हैं। हालांकि, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में पर्याप्त पूंजी निवेश शामिल है। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, पीडीएमसी योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत पट्टा धारकों को 90% की दर से सब्सिडी प्रदान करने के लिए भी इस योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है। पीडीएमसी मानदंडों के अलावा, अतिरिक्त सब्सिडी के टॉप-अप के लिए संसाधन जुटाने और सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के लिए अभिनव परियोजनाएं शुरू करने में राज्यों की सुविधा के लिए, सरकार ने नाबार्ड के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया है। राज्य एमआईएफ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर भारत सरकार राज्यों को 2% की दर से ब्याज में छूट प्रदान करती है। इसके अलावा, पीडीएमसी योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में कमांड क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के तहत बनाए गए प्रेशराइज्ड पाइप्ड इरिगेशन कमांड (पीपीआईसी) को पीडीएमसी योजना के साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, बेहतर दक्षता हासिल करने के लिए इस योजना के माध्यम से फर्टिगेशन और ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पीडीएमसी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पीएम-आरकेवीवाई के तहत कार्यान्वित किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकता के अनुसार, इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अपनी राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं जिसे राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी योजना को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करती है।

पीएमकेएसवाई के तीन घटक हैं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी) और पनधारा विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)। एआईबीपी और एचकेकेपी घटकों को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा डब्ल्यूडीसी घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एआईबीपी और एचकेकेपी नर्मदापुरम (होशंगाबाद) जिलें में कार्यान्वित नहीं हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, जिलें में 23.94 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 19953 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए चार परियोजनाएं पूरी की गई हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, जिलें में डब्ल्यूडीसी-2.0 के तहत दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो मार्च 2026 तक कार्यान्वयन के लिए 22.73 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 10,330 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगी। इस प्रकार राज्य ने जिलें में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी चुनौती की सूचना नहीं दी है।

****